111

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/2576

प्रकरण क्र.　　　/2017 निगरानी

1. श्रीमती गिरिजा देवी पत्नी रामचन्द्र शर्मा उम्र 73 वर्ष
2. दिनेश कुमार द्विवेदी पुत्र रामचन्द्र शर्मा उम्र 45 वर्ष
3. रविकुमार द्विवेदी पुत्र रामचन्द्र शर्मा उम्र 36 वर्ष
4. रीना द्विवेदी पुत्री रामचन्द्र शर्मा

समस्त निवासीगण ग्राम ग्राम गोतरा तहसील सुहागपुरा, जिला शहडोल, हाल निवास वार्ड नं. 16, कांग्रेस भवन के पीछे, शहडोल (म.प्र.)

.... आवेदिकागण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय कमिश्नर संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 82/निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अधीनस्थ कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा दिनांक 03.08.2010 को आदेश पारित किया, उक्त आदेश में खसरा 432/1 अन्य नम्बरों के साथ में आवेदिका का क्रमांक 432/1 ग्राम गोतरा आराजी को मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश प्रदान किया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / शहडोल / भू.रा / 2017 / 2576

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक पैनल अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आयुक्त संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 82 / निगरानी / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 03.08.10 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र 7 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी आवेदन अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह किया जाता है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	